रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2003/पौष 13, 1924
No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2003/PAUSA 13, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बीमा प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2003

का.आ. 7(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57 की धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम , 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :-

1 (1) इस स्कीम का सक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल स्कीम'' कहा गया है), के पैरा 3 में,

(क) खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :-

'(3) कंपनी से संबंधित ''अध्यक्ष'' से अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;'

(ख) खण्ड 6 का लोप किया जाएगा ।

(ग) खण्ड 7 में परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(घ) खण्ड 9 में, "साधारण बीमा कारबार उपाप्त करने" शब्दों के स्थान पर "साधारण बीमा कारबार उपाप्त करने और सेवा प्रदान करने" शब्द रखे जाएंगे।

(ड.) खण्ड 14 के उप खण्ड(ख)(।) में, मद (क) के नीचे स्पष्टीकरण में दोनों स्थानों पर, जहाँ वे आते हों, "तीन लाख" शब्दों के स्थान पर 1 अप्रैल 2003 से "पाँच लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

(च) खण्ड 17 के उप-खण्ड (ग) में,

(।) मद (i) में " 1 अप्रैल 1995 से आरंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1अप्रैल 1995 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले किसी निष्पादन वर्ष" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(।।) मद (i i) में " 1 अप्रैल 1997 से आरंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1अप्रैल 1997 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले किसी निष्पादन वर्ष" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(।।।) मद (i i i) में " 1 अप्रैल 1999 से आरंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1अप्रैल 1999 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले किसी निष्पादन वर्ष" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(IV) मद (i i i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

(iv) 1अप्रैल 2003 को आरंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष के लिए खर्च अनुपात के संबंध में, नीचे दी गई सारणी ग के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपगत अनुपात लागू होगा:-

सारणी ग

वह स्थान जहाँ पर विकास अधिकारी कार्यरत है	खर्च अनुपात (2)
(क) 12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर	7 %
(ख) 5 लाख से अधिक परंतु 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर	8 %
(ग) अन्य नगर	10 %

परन्तु यह कि 01-04-2003 से 31-03-2004 तक के कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, सारणी ग में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबद्ध सीमाओं में एक प्रतिशत का शिथिलीकरण किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि कठिन क्षेत्र में तैनात विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष, राशि और उक्त क्षेत्र से उपाप्त किए गए प्रीमियम की संरचना पर विचार करके, आदेश द्वारा और लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सारणी ग में निर्दिष्ट किए गए खर्च अनुपात की अनुबद्ध सीमाओं में एक प्रतिशत का शिथिलीकरण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1- "जनसंख्या" से किसी नगर की उसकी नगरपालिकीय सीमाओं के भीतर भारत सरकार की अद्यतन जनगणना रिपोर्ट से प्राप्त जनसंख्या अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2- "कठिन क्षेत्र" से कंपनी द्वारा उस क्षेत्र में कारबार उपाप्त करने में सामना की गई कठिनाइयों के संबंध में, विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

3 मूल स्कीम के पैरा 12, 14, 14क और 15 का 1 अप्रैल 2003 से लोप कि जाएगा ।

4 मूल स्कीम के पैरा 15 क का लोप किया जाएगा ।

5 पैरा 15क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात :

"15ख प्रोत्साहन --(1) कोई विकास अधिकारी तभी प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा, यदि वह किसी कार्य निष्पादन वर्ष में --

(क) न्यूनतम 7.5 प्रतिशत वृद्धि या साठ हजार रुपये से जो भी कम हो, प्राप्त करता है;

(ख) अनुबद्ध खर्च अनुपात के भीतर प्रचालन करता है;

(ग) नियत प्रीमियम आय का न्यूनतम बीस प्रतिशत प्रचालन अतिशेष उत्पन्न करता है।

(2) विकास अधिकारी को संदेय प्रोत्साहन सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान उत्पन्न प्रचालन अतिशेष का पाँच प्रतिशत होगा;

परन्तु ऐसा प्रोत्साहन सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान ऐसे विकास अधिकारी द्वारा लिए गए पिछले मूल वेतन के चौबीस गुणे के समतुल्य किसी राशि से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - प्रोत्साहन की गणना करने के प्रयोजन के लिए यदि इस पैरा में निर्दिष्ट कोई विकास अधिकारी एक लाख रुपये की नियत प्रीमियम आय प्राप्त करता है और सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान साठ हजार रुपये का प्रचालन अतिशेष उत्पन्न करता है, तो वह तीन हजार रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा।

15ग विशेष विकल्प-(1) कोई विकास अधिकारी साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 के प्रारंभ होने के साठ दिन के भीतर :-

(क) इससे संलग्न उपाबंध-1 के अनुसार विशेष स्वैच्छया सेवनिवृत्ति पैकेज; अथवा

(ख) उपाबंध-2 के अनुसार पैरा 21क के अधीन विकास अधिकारी(प्रशासन) के रुप में अपनी सेवाएं प्रदान करने का विकल्प कर सकेगा।

(2) कोई विकास अधिकारी यदि साठ दिनों की अनुबद्ध अवधि के भीतर उप पैरा (1) के अधीन विकल्पों में से किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करता, तो वह साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 के अधीन उसी रूप में सेवाएं करता रहेगा।

6 मूल स्कीम के पैरा 20 में " या किसी अन्य स्थान पर" शब्दों के पश्चात् "विकास अधिकारियों के लिए स्थानांतरण एवं गतिशीलता नीति के अनुसार, जो समय समय पर लागू की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7 मूल स्कीम के पैरा 21 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"21क. विकास अधिकारी (प्रशासन) के कर्त्तव्य और कृत्य : (1) कोई विकास अधिकारी जिसने विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प दिया है, वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन ऐसे स्थान पर करेगा जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएं, अर्थात :-

(क) इन-हाउस सर्वेक्षण और जोखिम निरीक्षण;

(ख) मोटर तृतीय पक्षकार दावा प्रबन्धन में सहायता;

(ग) ग्राहक सेवा के अन्य क्षेत्र ;

(घ) विपणन अनुसंधान और उत्पाद विकास ;

(ड.) दावा अन्वेषण जाँच ;

(च) कोई अन्य कर्तव्य जो उसे समय समय पर सौंपे जाएं

(2) पैरा 11 और 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विकास अधिकारी जो विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प देता है, अपने वर्तमान वेतनमान में सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि पाने के लिए हकदार होगा और वह नॉन कोर फायदे प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) कोई विकास अधिकारी जो विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प देता है, निम्न फायदे पाने के लिए हकदार होगा, अर्थात :-

(क) सवारी प्रसुविधा -(1) यदि कोई ऐसा विकास अधिकारी जिसने विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प दिया है, उक्त विकल्प से पूर्व यान के क्रय के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त की है, वह बिना ब्याज के शेष ऋण की किस्तों के प्रतिसंदाय के लिए हकदार होगा और उक्त ऋण के प्रतिसंदाय तक उक्त यान पर बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाएगी ।

(2) कोई विकास अधिकारी जिसने विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प दिया है, वह एक सौ पच्चीस रुपये प्रति मास की दर से नियत मासिक सवारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

(ख) टेलिफोन प्रसुविधा- यदि कोई विकास अधिकारी जिसने विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प दिया है; ऐसे विकल्प से पहले अपने निवास पर टेलिफोन की प्रसुविधा प्राप्त की है, वह ऐसे टेलिफोन को बिना किसी किराए या कॉल प्रभारों की प्रतिपूर्ति के अपने पास रखने का हकदार होगा।

(ग) कोई विकास अधिकारी जिसने विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प दिया है, मनोरंजन भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।"।

8 परिशिष्ट के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"उपाबंध-1

(पैरा 15ग देखें)

विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज

1 पात्रता:- कोई विकास अधिकारी निम्नलिखित के सिवाय विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के लिए विकल्प देने का पात्र होगा:-

(क) जो निलंबनाधीन है;

(ख) जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित है या अनुध्यात हैं

परंतु उस विकास अधिकारी की दशा में जो निलंबनाधीन है या जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या अनुध्यात हैं, उस पर कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों के बोर्ड द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

2 अनुग्रह राशि-विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाला कोई विकास अधिकारी निम्नानुसार न्यूनतम अनुग्रह राशि का हकदार होगा :-

(क) सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 60 दिनों का वेतन, या

(ख) शेष सेवा के महीनों की संख्या के लिए वेतन।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "वेतन" से मूल वेतन और मंहगाई भत्ते की कुल राशि अभिप्रेत है।

3. अन्य फायदे (1) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पेकेज चाहने वाला कोई विकास अधिकारी खण्ड 2 में वर्णित अनुग्रह राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित फायदों के लिए पात्र होगा, अर्थात:-

(I) उपदान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) के अनुसार उपदान या मूल स्कीम के अंतर्गत संदेय उपदान, जैसी भी स्थिति हो;

(II) साधारण बीमा (कर्मचारी) पैंशम स्कीम, 1995 के अनुसार पैंशन (पैंशन के संराशित मूल्य सहित), यदि पात्र हो;

(III) तत समय प्रवृत्त लागू विधि के अनुसार छुट्टी का नकदीकरण

(2) खण्ड 2 के अधीन संदेय अनुग्रह राशि की संगणना कार्यमुक्त होने की तारीख को की जाएगी।

4. संदाय की रीति :- खण्ड 2 के अधीन संदेय अनुग्रह राशि का संदाय अनुग्रह राशि की न्यूनतम पचास प्रतिशत नकद संदाय के अधीन रहते हुए नकद या आंशिक रूप से बंधपत्रों या किस्तों में किया जाएगा, जैसा कि निदेशको के बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

5. साधारण शर्तें :

(1) न्यूनतम पात्र सेवा के आकलन के लिए सेवा के केवल पूर्ण वर्षों की गणना की जाएगी :

परन्तु अनुग्रह राशि की संगणना के प्रयोजन के लिए छः माह या अधिक की सेवा की गणना एक वर्ष के रूप में की जाएगी।

(2) साठ दिनों के वेतन से दो माह का वेतन अभिप्रेत होगा और अनुग्रह की राशि की संगणना ऐसे विकास अधिकारी के लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी।

(3) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाले ऐसे विकास अधिकारी का केवल आवेदन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे कंपनी द्वारा लिखित रूप में स्वीकार न किया जाए।

(4) कोई विकास अधिकारी विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के लिए एक बार दिये गए विकल्प को वापिस लेने का पात्र नहीं होगा।

(5) कंपनी को पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि कंपनी की अपेक्षाओं को देखते हुए वह चाहे तो विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाले किसी विकास अधिकारी के आवेदन को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे।

विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाले किसी विकास अधिकारी के आवेदन को अस्वीकृत करने के कारणों को कंपनी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा । विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाले किसी विकास अधिकारी के आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति उसे लिखित रूप में संसूचित की जाएगी ।

(6) संदेय अनुग्रह राशि की संगणना किसी विकास अधिकारी की कार्यभार मुक्ति की तारीख को की जाएगी।

(7) इस विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के प्रयोजन के लिए किसी विकास अधिकारी की आयु, सेवा की अवधि की गणना कंपनी के अभिलेख के अनुसार उसकी जन्मतिथि तथा कार्यभार संभालने की तारीख के अनुसार की जाएगी, जिसे सही और अंतिम माना जाएगा और इस संबंध में किसी परिवर्तन के संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(8) किसी विकास अधिकारी को विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के अधीन सभी संदाय और संदेय कोई अन्य फायदे, सभी ऋणों, अग्रिमों कम्पनी की सम्पत्ति को वापिस करने और उसके विरुद्ध अन्य किसी देय बकाया जो उसके द्वारा कंपनी को संदेय हों, के पूर्ण निपटान या पुनःप्रतिसंदाय के अध्यधीन होंगे ।

(9) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के अधीन किए गए सभी संदाय, आयकर अधिनियम 1961, जहाँ लागू हों, के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती के अध्यधीन होंगे।

(10) कोई विकास अधिकारी जिसे विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज अनुज्ञात किया जाता है, विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के अधीन अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, कंपनी में पुनःनियोजन का पात्र नहीं होगा और गैर जीवन बीमा कंपनियों में से किसी में कोई नियोजन या अभिकरण नहीं लेगा ।

परंतु सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में से किसी में कोई अभिकरण, जिसके लिए वह अन्यथा पात्र है, लेने से इस खण्ड में अंतर्विष्ट उपबन्धों का उल्लंघन होना नहीं समझा जाएगा ।

(11) ऐसे किसी विकास अधिकारी की मृत्यु होने की दशा में, जिसका आवेदन विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के लिए स्वीकृत किया गया है, वह प्रतिकर, जो मृत्तक विकास अधिकारी को देय और संदेय होता का संदाय, ऐसे व्यक्ति को जिसे देयों को प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित किया गया है, या ऐसे नामनिर्देशन के आभाव में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जाएगा ।

(12) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के अधीन फायदे पूर्णतः संदेय होंगे और सभी दावों का जो किसी भी प्रकृति के हों पूर्णतः निपटान किया जाएगा, चाहे वे विकास अधिकारी को (या मृत्यु की दशा में उसके नामनिर्देशिती को) विनियमों के अधीन या अन्यथा उद्भूत हुए हों। कोई विकास अधिकारी जो विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो गया है, कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करेगा और उसके द्वारा या उसकी ओर से पुनः नियोजन या प्रतिकर या कंपनी की सेवा में अनुकम्पा आधार पर अपने किसी नातेदार के रोजगार सहित पुराने वेतन या अन्य किसी भी प्रकार के फायदों के लिए कोई भी मांग या विवाद या मतभेद उत्पन्न नहीं करेगा।

(13) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज का विकल्प देने पर किसी विकास अधिकारी को संदेय अनुग्रह राशि का संदाय उसकी कार्यमुक्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर खण्ड 6 के अनुसरण में किया जाएगा।

(14) कोई विकास अधिकारी जो विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज का विकल्प देता है, कम्पनी द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधा या पट्टाधृत्त आवास को सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों पर लागू विद्यमान नियमों के अनुसार दो माह तक प्रतिधारित करने का पात्र होगा। ऐसे मामले में, उसे संदेय की जाने वाली राशि का संदाय उसके आवासीय सुविधा को रिक्त करने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर किया जाएगा और वह इससे सम्बद्ध सभी अन्य फायदों का हकदार होगा।

(15) विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने वाला कोई विकास अधिकारी एक आवेदन उपाबंध-1क में, तीन प्रतियों में, उचित माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा।

(16) कंपनी को किसी भी समय यदि वह उचित समझे, विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज को वापिस लेने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

उपाबंध-1क

(उपाबंध-1 का खण्ड 5(15) देखें)

विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज के लिए आवेदन

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

अध्यक्ष
(कंपनी का नाम)

(उचित माध्यम से)

महोदय,

मैं साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 में अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों के अनुसार विशेष स्वेच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज चाहने का प्रस्ताव कर रहा/रही हूँ।

2. मैंने इसकी अंतर्वस्तुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं उसमें अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ। मेरी सेवा की विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	
1.	विकास अधिकारी का नाम	
2.	नियोजन/वेतन क्रमांक	
3.	कार्यालय	
4.	भविष्य निधि संख्या	
5.	पदनाम	
6.	जन्म की तारीख	
7.	आयु	
8.	कार्य ग्रहण की तारीख (अस्थायी अवधि, यदि कोई	

	हो, को छोड़कर)	
9.	पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या	
10.	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख	
11.	उस तारीख को वेतन मूल वेतन (रुपये) ---------- मंहगाई भत्ता (रुपये) ---------- कुल (रुपये) ----------	
12.	क्या विकास अधिकारी पर किसी प्रकार की बड़ी या लघु शास्ति अधिरोपित की गई है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	
13.	क्या कोई अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित है ?	

घोषणा

1. मैं घोषण करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सत्य है;
2. मैं कम्पनी को मेरे द्वारा कंपनी को संदेय किसी भी प्रकार या प्रकृति के सभी ऋण/देयों इत्यादि को वसूल करने और समायोजित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।
3. मैं करार करता हूँ कि पूर्वोक्त कथनों में से किसी के असत्य पाए जाने की दशा में, कंपनी द्वारा, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 के अधीन, मुझे किए गए संदाय से किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कंपनी द्वारा मेरे विरुद्ध की जा सकेगी, मुझसे वसूलनीय होगा।

विकास अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख :

उपाबंध-II

(पैरा 15(ग) (ख) देखें)

(विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में सेवाएं करने के लिए आवेदन)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

अध्यक्ष
(कंपनी का नाम)

(उचित माध्यम से)

महोदय,

मैं साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 में अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों के अनुसार कंपनी में विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में अपनी सेवाएं करने का विकल्प देता/देती हूँ।

2. मैंने स्कीम की अंतर्वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है तथा मैं उसमें अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

भवदीय,

(अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम ----------
नियोजन संख्या ----------
कार्यालय ----------

स्थान :
तारीख :

[फा. सं. 2(2)/बीमा III/2002]

ए. एम. शरण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम दिनांक 29.04.1976 की अधिसूचिना सं. एस ओ. 327(अ) के अनुसार प्रकाशित की गई थी तथा इसके पश्चात् दिनांक, 01.12.1976 की अधिसूचिना सं एस ओ 761(अ), दिनांक 30.07.1977 की एस.ओ.2444, दिनांक 29.03.1978 की एस.ओ.1048, दिनांक 28.06.1978 की एस.ओ.414(अ), दिनांक 16.11.1978 की एस.ओ.3430, दिनांक 13.02.1987 की एस.ओ.80(अ), दिनांक 22.08.1987 की एस.ओ.781(अ), दिनांक 13.06.1999 की एस.ओ.478(अ), दिनांक 09.10.1990 की एस.ओ.766(अ), दिनांक 10.03.1992 की एस.ओ.201(अ), दिनांक 02.02.1994 की एस.ओ.182(अ), दिनांक 30.06.1995 की एस.ओ.593(अ), दिनांक 18.07.1996 की एस.ओ.522(अ), दिनांक 25.02.1997 की एस.ओ.145(अ), दिनांक 27.08.1998 की एस.ओ.730(अ), दिनांक 30.08.1999 की एस.ओ.696(अ), दिनांक 22.06.2000 की एस.ओ.588(अ), तथा दिनांक 30.08.2000 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.781(अ) के अनुसार संशोधित की गई ।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2003

S.O. 7(E).— In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the "principal Scheme"), in paragraph 3,-

(a) for clause 3, the following clause shall be substituted, namely:-

'(3) "Chairman" in relation to the company means the Chairman-cum-Managing Director;';

(b) clause 6 shall be omitted;

(c) in clause 7, the proviso shall be omitted;

(d) in clause 9, for the words "procuring general insurance business", the words "procuring and servicing general insurance business" shall be substituted;

(e) in clause 14, in the Explanation below sub clause (b) (i), in item (a) for the words "three lakhs" at both the places where they occur, the words "five lakhs" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2003;

(f) In clause 17, in sub-clause (c)-

(I) in item (i), for the words, figures and letters "performance year commencing on the 1st day of April 1995", the words, figures and letters "any performance year commencing on the 1st day of April 1995 and ending on the 31st day of March 2003" shall be substituted;

(II) in item (ii), for the words, figures and letter "performance year commencing on the 1st day of April 1997", the words, figures and letters "any performance year commencing on the 1st day of April 1997 and ending on the 31st day of March 2003" shall be substituted;

(III) in item (iii), for the words, figures and letters "performance year commencing on the 1st day of April 1999", the words, figures and letters "any performance year commencing on the 1st day of the April 1999 and ending on the 31st day of March 2003" shall be substituted;

(IV) after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

'(iv) in relation to cost ratio for performance year commencing on the 1st day of April, 2003, the ratio

specified in column (2) of the Table C below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof shall apply:-

TABLE-C

Development Officer Operating at (1)	Cost ratio (2)
(a) Cities with population exceeding 12 Lakhs	7%
(b) Cities with population of 5 Lakhs and above, but not exceeding 12 Lakhs	8%
(c) Other centres	10%

Provided that for the performance year 01.04.2003 to 31.03.2004, relaxation of one per cent. shall be allowed in the stipulated limits of cost ratio specified in Table-C:

Provided further that for a Development Officer posted in hardship area, the Chairman may after taking into account the amount and the composition of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one per cent. in the stipulated limit of cost ratio specified in the Table-C:

Explanation 1.-- "Population" shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation 2.-- "hardship area" shall mean an area specified as such by the Company in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area.'.

3. Paragraphs 12, 14, 14A and 15 of the principal Scheme shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2003.

4. Paragraph 15A of the principal Scheme shall be omitted.

5. After paragraph 15A, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"**15B.Incentive.**- (1) A Development Officer shall be eligible for incentive only if he -

(a) achieves a minimum growth of 7.5 per cent. or sixty thousand rupees whichever is less;

(b) operates within the stipulated cost ratio;

(c) generates a minimum operating surplus of twenty per cent. of the scheduled premium income,

in a performance year.

(2) The incentive payable to a Development Officer shall be five per cent of the operating surplus generated during the relevant performance year:

Provided that such incentive shall not exceed an amount equivalent to twenty-four times of the last drawn basic pay by such Development Officer during the relevant performance year.

Explanation.- For the purpose of calculating incentive, if a Development Officer referred to in this paragraph achieves a scheduled premium income of one lakh rupees and generates an operating surplus of sixty thousand rupees during the relevant performance year, he shall be eligible for an incentive of three thousand rupees.

15C.Special Option.-- (1) A Development Officer may, within sixty days of the commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003, opt -

(a) for Special Voluntary Retirement Package as per Annexure-I appended hereto; or

(b) to render his services as Development Officer (Administration) under paragraph 21A, as per annexure II.

(2) A Development Officer, who does not exercise any of the options under sub-paragraph (1) within the stipulated period of sixty days, shall continue to render services as such under the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003.".

6. In paragraph 20 of the principal Scheme, after the words "or any other place" the words "in accordance with the transfer and mobility policy for Development Dfficers as may be introduced from time to time" shall be inserted.

7. After paragraph 21 of the principal Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"**21A. Duties and Functions of Development Officer (Administration).**--(1) A Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration) shall perform such functions and at such place as may be decided by the Chairman from time to time, namely: –

(a) in-house survey and risk inspection;

(b) assistance in motor third party claims management,

(c) other areas of customer service;

(d) market research and product development;

(e) claims investigation;

(f) any other duties as may be assigned to him from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in paragraphs 11 and 13, a Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration) shall be entitled to normal annual increment in their existing scale, and shall not be entitled to receive the non-core benefits.

(3) A Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration), shall be entitled to the following benefits, namely:--

(A) Conveyance facility.— (1) If the Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration) had availed of the facility of interest free loan for the purchase of vehicle prior to such option, he shall be entitled to repay the remaining loan instalments without interest and the insurance premium on such vehicle shall be reimbursed by the Company till such loan is repaid.

(2) A Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration), shall be entitled to receive a fixed monthly conveyance allowance at the rate of one hundred and twenty five rupees.

(B) Telephone facility.—If a Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration) had availed of the facility of telephone at his residence before such option, he shall be entitled to retain such telephone without reimbursement of any rent or call charges.

(C) A Development Officer who opts to render services as Development Officer (Administration) shall not be entitled to entertainment allowance.".

8. After Appendix, the following shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE-I
(See paragraph 15C)

SPECIAL VOLUNTARY RETIREMENT PACKAGE

1. **ELIGIBILITY.-** A Development Officer shall be eligible to opt for the Special Voluntary Retirement Package except -

(a) who is under suspension;

(b) against whom disciplinary proceedings is are pending or contemplated:

Provided that the case of a Development Officer who is under suspension or against whom disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be considered by the Board of Directors of the Company and having regard to the facts of each case, the decision taken by the Board of Directors shall be final.

2. **AMOUNT OF EX-GRATIA**--A Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall be entitled to the lowest of the *ex-gratia* amount as follows:-

(a) sixty days' salary for each completed year of service; or

(b) salary for the number of months of service remaining.

Explanation.- For the purpose of this clause "salary" means the aggregate of basic pay and dearness allowance.

3. **OTHER BENEFITS**--(1) A Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall be eligible for the following benefits in addition to the *ex-gratia* amount mentioned in clause 2, namely:-

(i) gratuity as per the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) or gratuity payable under the principal Scheme, as the case may be;

(ii) pension (including commuted value of pension) as per the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, if eligible;

(iii) Leave encashment as per the law applicable for the time being in force.

(2) The *ex-gratia* payable under clause 2 shall be computed as on the date of relieving.

4. **MODE OF PAYMENT.**-The *ex-gratia* payable under clause 2 shall be paid in cash, or partly in bonds or in instalments, as may be decided by the Board of Directors, subject to a minimum payment of fifty per cent of *ex-gratia* in cash..

5. **GENERAL CONDITIONS.-**

(1) Only completed years of service shall be reckoned for arriving at the minimum eligible service:

Provided that fraction of service for six months and above shall be reckoned as one year for the purpose of calculating the *ex-gratia*.

(2) The sixty days salary shall mean two months' salary and the *ex-gratia* shall be calculated on the basis of last drawn salary of such Development Officer.

24CL/03-4

(3) The mere request of such Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall not take effect unless it is accepted in writing by the Company.

(4) A Development Officer shall not be eligible to withdraw the option once made for Special Voluntary Retirement Package.

(5) The Company shall have absolute discretion either to accept or reject the request of a Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package depending upon the requirement of the Company. The reasons for rejection of request of a Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall be recorded in writing by the Company. Acceptance or rejection of the request of a Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall be communicated to him in writing.

(6) The *ex-gratia* payable shall be computed as on the date of relieving of a Development Officer.

(7) For the purpose of this Special Voluntary Retirement Package, the age, period of service of a Development Officer shall be reckoned in terms of the date of birth and date of joining as per the records of the Company which shall be treated as correct and final and no application for any change in this regard shall be considered.

(8) All payments under the Special Voluntary Retirement Package, and any other benefit payable to a Development Officer shall be subject to prior settlement or re-payment in full of loans, advances, returning of Company's property and any other outstanding due against him and payable by him to the Company.

(9) All payments made under the Special Voluntary Retirement Package shall be subject to deduction of tax at source as per the Income Tax Act, 1961 wherever applicable.

(10) A Development Officer who is allowed Special Voluntary Retirement Package shall not be eligible for re-employment in the Company and shall not take any employment or an agency in any of the non-life insurance companies, for a period of two years from the date of his retirement under Special Voluntary Retirement Package:

Provided an agency taken in any of the public sector insurance companies, for which if he is otherwise eligible, shall not be construed to be in contravention of the provisions contained in this clause.

(11) In the event of the death of a Development Officer, whose request for Special Voluntary Retirement Package has been accepted, the compensation, which would have become due and payable to the deceased Development Officer, shall be paid to the person nominated to receive such dues or his legal heirs in the absence of such nomination.

(12) The benefits payable under Special Voluntary Retirement Package shall be in full and final settlement of all claims of whatsoever nature, whether arising under the regulation or otherwise to Development Officer (or to his nominee in case of death). A Development Officer who voluntarily retired under Special Voluntary Retirement Package shall not have any claims against the Company of whatsoever nature and no demand or dispute or difference shall be raised by him or on his behalf, whether for re-employment or compensation or back wages including employment of any of his relative on compassionate grounds in the service of Company or for any other benefits whatsoever.

(13) The *ex-gratia* payable tc a Development Officer on opting for Special Voluntary Retirement Package shall be paid to him pursuant to clause 6 within forty- five days from the date of his relieving.

(14) A Development Officer who opts for Special Voluntary Retirement Package shall be eligible for retention of residential accommodation provided to him by the Company or leased accommodation as per the existing rules as applicable to those who retire on attaining the age of superannuation for a period of two months. In such case, the amount payable to him shall be released within forty-five days after his vacation of the residential accommodation and he shall also be entitled to all other benefits in relation thereto.

(15) A Development Officer seeking Special Voluntary Retirement Package shall make an application in Annexure- IA, in triplicate, through proper channel, addressed to the Chairman of the Company.

(16) The Company reserves the right to withdraw Special Voluntary Retirement Package at any time if it thinks fit and its decision in this respect shall be final.

ANNEXURE-IA

[See clause 5(15) of Annexure-1]

APPLICATION FOR SPECIAL VOLUNTARY RETIREMENT PACKAGE

(To be filled up in triplicate)

The Chairman
(Name of the Company)

(Through Proper Channel)

Sir,

I hereby offer to seek Special Voluntary Retirement Package from the services in accordance with the terms and conditions stipulated in the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003.

2. I have carefully read and understood the contents of the same and I accept the terms and conditions stipulated therein. My service particulars are given below :-

S.No.	PARTICULARS	
1.	NAME OF THE DEVELOPMENT OFFICER	
2.	EMPLOYMENT/SALARY ROLL NO.	
3.	OFFICE	
4.	PROVIDENT FUND NO.	
5.	DESIGNATION	
6.	DATE OF BIRTH	
7.	AGE	
8.	DATE OF JOINING (EXCULDING THE TEMPORARY PERIOD, IF ANY)	
9.	NO. OF COMPLETED YEARS	
10.	DATE OF ATTAINING THE AGE OF SUPERANNUATION	
11.	SALARY AS ON DATE Basic Pay (Rs.)---------- D.A. (Rs.)---------- Total (Rs.)----------	
12.	HAS THE DEVELOPMENT OFFICER BEEN IMPOSED ANY MAJOR OR MINOR	

	PENALTY. IF YES, THE DETAILS THEREOF	
13.	WHETHER ANY DISCIPLINARY ACTION IS PENDING	

DECLARATION

1. I hereby declare that the information given above is complete and true;
2. I hereby authorise the Company to recover and adjust all loans/ dues, etc. payable by me to the Company whatever kind or nature;
3. I agree that in case of any of the aforesaid statements is found to be untrue, the payment made to me by the Company under General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003, shall be recoverable from me without prejudice to any other action that may be taken against me by the Company.

SIGNATURE OF THE DEVELOPMENT OFFICER.

Place:
Date:

ANNEXURE-II

[SEE PARA 15 (C)(b)]

[APPLICATION TO RENDER SERVICES AS DEVELOPMENT OFFICER (ADMINISTRATION)]

(To be filled up in triplicate)

The Chairman,
(Name of the Company)

(Through proper channel)

Sir,

I hereby opt to render my services as Development Officer (Administration) in the Company in accordance with the terms and conditions stipulated in the General Insurance (Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2003.

2. I have carefully read and understood the contents of the Scheme and I accept the terms and conditions stipulated therein.

Yours faithfully,

(Signature of the Officer)
Name .....
Employment No.....
Office.....".

Place :.....
Date :.....

[F. No. 2(2)/Ins III/2002]
A. M. SHARAN, Jt. Secy.

NOTE: The principal Scheme was published vide Notification No.S.O.327(E) dated 29.04.1976 and subsequently amended by Notification No. S.O.761(E) dated 01.12.1976 S.O. 2444 dated 30.07.1977, S.O.1048 dated 29.03.1978, S.O.414(E) dated 28.06.1978, S.O.3430 dated 16.11.1978, S.O.80(E) dated 13.02.1987, S.O.781(E) dated 22.08.1988, S.O.478(E) dated 13.06.1999, S.O.766(E) dated 09.10.1990, S.O.201(E) dated 10.03.1992 S.O.82(E) dated 02.02.1994, S.O.593(E) dated 30.06.1995, S.O.522(E) dated 18.07.1996 and S.O.145(E) dated 25.02.1997. S.O.730(E) dated 27.8.1998, S.O.696 (E) dated 30.8.1999, S.O.588 (E) dated 22.6.2000, S.O.781 (E) dated 30.8.2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.